न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 89/2012

उनवान

कालू पुत्र जगन्नाथ (जगन्नाथ पुत्र ज्वारा) जाति जाट निवासी देराठु, नसीराबाद जिला अजमेर
–– प्रार्थीया :– जरियें अधिवक्ता श्री मदनपुरी गोस्वामी

बनाम

1. दाखा पत्नी पांचू मृतक जरियें वारिसान्
1/1. सावंरा पुत्र पांचू,
1/2. उमराव पुत्र पांचू, जाति जाट नि0 देराठु नसीराबाद
1/3. सायरी पत्नी देवकरण,
1/4. छोटी पत्नी शिवराज
1/5. शांति पत्नी कल्याण जाति जाट नि0 लोहरवाडा, नसीराबाद
2. पारसी पत्नी रतनलाल जाति कुम्हार नि. रामपुरा हनुवन्तिया, नसीराबाद
3. उप पंजीयक, नसीराबाद
4.. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर
–– अप्रार्थीगण :– 1/1. जरियें अधिवक्ता नौरतमल जैन, निर्मल कुमार जैन
3 व 4 जरिये राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–– आदेश :– दिनांक :– 6.2.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 3788/5–12–0, 3795/1–4–10, 3796/3–2–0 वर्किंग खसरा नम्बर 3971/2–18–0, 3980/1–4–10, 3981/0–7–0 हाल खसरा नम्बर 5878/0.47, 5879/0.26 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता जगन्नाथ पुत्र जुवारा के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। किन्तु बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी आदेश उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। प्रार्थी जगन्नाथ का दत्तक पुत्र है एवं उक्त आराजी पर उसका 1/2 हिस्सा निहित है। किन्तु वर्तमान के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने स्वयं को जगन्नाथ का दत्तक पुत्र होना बताया है जो गलत है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी कालू के पिता का नाम काना के स्थान पर जगन्नाथ दर्शाया है जो गलत है। रामवन्द्र के दो पुत्र जोरा व जुवारा फौत हो गये है। जोरा के वारिस

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

पांचू, काना, सूजा व दाखू है। जुवारा का पुत्र जगन्नाथ नाऔलाद फौत हो गया है। प्रकरण में जोरा पुत्र रामचन्द्र के विधिक वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण को उक्त आराजी जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि चौसाला जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर सहखातेदार है। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में वाद पेश किया था किन्तु कुछ खसरा नम्बर छूट जाने के कारण पुनः दावा पेश किया। उक्त त्रुटि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जुवारा का पुत्र जगन्नाथ नाऔलाद फौत हो गया है। प्रार्थी के पास कोई गोदनामा नहीं है। जमाबंदी सम्वत् 2024 में नामान्तकरण संख्या 842 से जगन्नाथ के बजाय सूजा, पांचू, काना के नाम अंकित हुआ है जिसे चुनौती नहीं दी गयी है। अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है जिनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–18 में जगन्नाथ पुत्र जुवारा के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि वह जगन्नाथ पुत्र जुवारा का दत्तक पुत्र है अतः आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से का खातेदार उसे घोषित किया जावे। प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा पूर्व में समान तथ्यों का वाद पेश किया था। किन्तु उक्त वाद में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर छूट गये थे। अतः उसके द्वारा यह वाद पेश किया गया है। प्रार्थी जगन्नाथ का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं ? यह मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्ध होगा पूर्व वाद के सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। ना ही प्रार्थी जगन्नाथ का दत्तक पुत्र है इस बाबत कोई प्राथमिक साक्ष्य प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रेकार्डेड खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। । अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया विरुद्ध प्रार्थी बहक अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी स्वयं को जगन्नाथ पुत्र जुवारा का दत्तक पुत्र बताता है। किन्तु इस बाबत कोई प्राथमिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। अप्रार्थीगण आराजी के खातेदार है। अप्रार्थीगण को प्रकरण में पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उसके विरुद्ध व्यायादेश जारी किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीया के विरुद्ध सिद्ध होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया विरुद्ध प्रार्थी सिद्ध होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी विरुद्ध प्रार्थी सिद्ध होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होगे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—3

Scanned by CamScanner

आदेश :– अतः ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 3788/5–12–0, 3795/1–4–10, 3796/3–2–0 वर्किंग खसरा नम्बर 3971/2–18–0, 3980/1–4–10, 3981/0–7–0 हाल खसरा नम्बर 5878/0.47, 5819/0.26 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Scanned by CamScanner